

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का0 आदेश सं०-08/ज०सं०(नि०) राँची-03-01/2018/ राँची, दिनांक-

आदेश

श्री हेमन्त कुमार भक्त (ID-3256), उप सचिव (प्रबंधन) द्वारा झारखण्ड भू-गर्भ सेवा नियमावली के गठन संबंधी मामले में अनावश्यक विलम्ब करने के लिए विभागीय पत्रांक 255 दिनांक 16.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री भक्त द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया कि संदर्भित नियमावली के संकल्प में यदि कोई बात समाहित नहीं था तो इस बिन्दू को विभागीय सचिव के संज्ञान में लाकर उनसे आदेशित कराकर उसका समाधान कार्यालय से करवाना चाहिए था जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया। चूँकि ये श्री भक्त की पहली गलती है, अतः भविष्य में सचेत रहने की हिदायत के साथ इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

3. उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक.....2317

राँची, दिनांक.....22-05-18

प्रतिलिपि:- उपसचिव प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/श्री हेमन्त कुमार भक्त, उप सचिव(प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची /वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव